न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास बइजलास लहरीकुमार जैन आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः–156/14

बाबूलाल पुत्र रामनाथ उम्र 58 वर्ष जाति नाथ निवासी ग्राम चढावद तहसील कनवास जिला कोटा।

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

(प्रतिवादी)

वाद अर्न्तगत धारा 88,89, आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 12.112016

वादी ने उपस्थित होकर दावा अर्न्तगत धारा 88,89, आरटीऐक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी के खाते एंव कब्जे कास्त की अन्य सहखातेदारों के साथ माल ग्राम कुशालीपुरा पटवार हल्का बृजनगर तहसील कनवास जिला कोटा में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 के अनुसार खाता नंबर 157 की खसरा नंबर 217 की रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 218 की 0.26 है0, खसरा नंबर 221 की रकबा 5.39 है0, कुल किता 03 की कुल रकबा 5.86 हैक्टर आराजी स्थित है । जिसमें वादी का 5/12 हिस्सा निहित है तथा अन्य खातेदारों का भी हित निहित है। यह कि उपरोक्त वर्णित आराजी में रिज्यूम शब्द जुडा हुआ है, उक्त आराजी माफी की आरजी थी, जिसमें जागीर उन्मूलन के समय माफी को हटा दिया गया था, तथा वादी के पूर्वजों को पूर्ण खातेदार घोषित कर दिया गया था, किन्तु रिज्यूम शब्द आज भी खाते पर विधमान है, जिससे वादी व अन्य सहखातेदारों को ऋण लेने में व अन्य विकास कार्य करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है वादी अपने कृषि व घरेलू जरूरतों की पूर्ति उक्त आराजी पर ऋण नंही उठा पा रहा है।

अत; वादी के खाते कि आराजी माल ग्राम कुशालीपुरा पटवार हल्का बृजनगर तहसील कनवास जिला कोटा में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 के अनुसार खाता नंबर 157 की खसरा नंबर 217 की रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 218 की 0.26 है0, खसरा नंबर 221 की रकबा 5.39 है0, कुल किता 03 की कुल रकबा 5.86 हैक्टर खाते में वादी के नाम के साथ दर्ज रिज्यूम शब्द हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती किये जाने के आदेश पारित फरमावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्पूर्ण राजस्थान में जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के

प्रभावशील होने के बाद खाते से माफी शब्द हटा कर सेवादारों को खुद काश्तकार मानकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। रिज्यूम शब्द खाते से हटाने में आपत्ति नहीं है।

लोक अदालत में प्रस्तुत प्रकरण में हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। बहस के दोरान वकील वादी ने हमारा ध्यान प्रस्तुत उद्वरण आर आर डी 1985 पेज सं. 298–303 सरकार बनाम हरकलाल एंवम आर बी जे (13) 2006 पेज सं. 190–192 माननीय राजस्थान उच्च न्यायलाय जयपुर सरवन जीत बनाम सरकार व अन्य की और हमारा ध्यान आकर्षित कराया जिसमें माफी के 1.7.1963 के पुर्नग्रहण होने पर राज सरकार भूमिधारक के स्थान पर और विपक्षीगण को धारा 13 आरटीएक्ट तथा धारा 9 एंव 10 जागीर एक्ट के अनुसार सही दर्ज किया गया । एंव धारा 193 आर टी एक्ट 1955 पेश की । राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक / एफ.2(682)**Rev./B/62** दिनांक 5/6/65 व दिनांक 11/3/66 व अधिसूचना दिनांक 10.5.66 से तथा आर.टी. एक्ट की धारा 193 अनुसार ग्राम के सेवादारों यथा माफी चौकीदारी, माफी ग्राम बलाई आदि उसकी अनुदान भूमि का खातेदार आसामी हो जावेगा। प्रस्तुत प्रकरण में भी वादी सेवादार होने से खातेदार आसामी तो गया है। अतः लोक अदालत की भावना से पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एवं पेरोकार सरकार के जवाब तथा प्रस्तुत उद्वरण का अवलोकन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि वाद पत्र में अंकित आरजी माल ग्राम कुशालीपुरा पटवार हल्का बृजनगर तहसील कनवास जिला कोटा में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 के अनुसार खाता नंबर 157 की खसरा नंबर 217 की रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 218 की 0.26 है0, खसरा नंबर 221 की रकबा 5.39 है0, कुल किता 03 की कुल रकबा 5.86 हैक्टर भूमि पर अंकित रिज्यूम शब्द को हटाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है कि माल ग्राम कुशालीपुरा पटवार हल्का बृजनगर तहसील कनवास की खसरा नंबर 217 की रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 218 की 0.26 है0, खसरा नंबर 221 की रकबा 5.39 है0, कुल किता 03 की कुल रकबा 5.86 हैक्टर आराजी के वर्तमान जमाबंदी खाता नंबर 157 पर अंकित रिज्यूम शब्द को हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। तदानुसार डिक्री मुर्तिब की जावे। निर्णय आज दिनाक 12.11.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लहरीकुमार जैन)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

<u>अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई</u>

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास लहरी कुमार जैन **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.) राष्ट्रीय लोक अदालत दिंनाक 12.11.2016

1. बाबूलाल पुत्र रामनाथ उम्र 58 वर्ष जाति नाथ निवासी ग्राम चढावद तहसील कनवास जिला कोटा। वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादी

<u>दावा बाबत अर्न्तगत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट</u>

मुकदमा नं. 156/14 सन 2014 तारीख फैसला 12.11.2016 न्यायालय ब इजलास श्री लहरी कुमार जैन **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी नंबर 1 मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी स्वंय मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है, कि ग्राम कुशालीपुरा पटवार हल्का बृजनगर तहसील कनवास की खसरा नंबर 217 की रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 218 की 0.26 है0, खसरा नंबर 221 की रकबा 5.39 है0, कुल किता 03 की कुल रकबा 5.86 हैक्टर आराजी के वर्तमान जमाबंदी खाता नंबर 157 पर अंकित रिज्यूम शब्द को हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.11.2016 गाह नवम्बर 2016 को जारी की गई।

मोहर ....

श्री लहरी कुमार जैन

(R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड कनवास

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज०)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	पया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा "" स्टाम्प वकालतनामा "" स्टाम्प वजह सबूत "" महनताना वकील"" खर्चा गवाहान "" फीस कमिश्नर "" बाबत इजराय हुकमनामा""	---NIL--- .		स्टाम्प वकालतनामा "" स्टाम्प अर्जी "" महनताना वकील"" खर्चा गवाहान "" फीस कमिश्नर "" बाबत इजराय	---NIL--- .	
मुतफर्रिक "" मीजान ""			हुकमनामा "" मुतफर्रिक "" मीजान ""		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)